

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6735/2024

घनश्याम दास विजय पुत्र श्री रमेश्वर प्रसाद विजय, आयु लगभग 47 वर्ष, निवासी सी-17, अलकापुरी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार के माध्यम से, जोधपुर।
2. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री अभिषेक शर्मा, श्री जी.एल.शर्मा के साथ
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री ए.के. शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विष्णु
कांत शर्मा के सहयोग से,

माननीय मुख्य जस्टिस श्री. मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव
माननीय श्री. जस्टिस भुवन गोयल
आदेश

सूचनादायी

27/05/2024

1. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, इस याचिका की अंतिम रूप से सुनवाई की गई।
2. याचिकाकर्ता, इस याचिका के माध्यम से, 09.04.2024 दिनांकित विज्ञापन की धारा 20 की शुद्धता और वैधता को चुनौती देता है, जिसके द्वारा प्रतिवादियों ने राज्य न्यायिक सेवा में सिविल जज कैंडर के पद की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है।

3. इस याचिका में सम्मिलित विवाद के निर्धारण के लिए आवश्यक मूलभूत तथ्य यह हैं कि प्रतिवादियों ने राज्य न्यायिक सेवा में सिविल जज कैडर के पदों के लिए रिक्तियों को भरने हेतु 09.04.2024 को एक विज्ञापन जारी किया है। उक्त विज्ञापन की धारा 20 आयु पात्रता सम्बन्धी प्रावधान प्रदान करती है। इसमें यह कहा गया है कि सिविल जज कैडर के पद पर प्रत्यक्ष भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद प्रथम जनवरी (01.01.2025) को अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु पात्रता के सम्बन्ध में उक्त प्रावधान के साथ दो उपधाराएँ जुड़ी हुई हैं। पहली उपधारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करती है। इसके अंतर्गत यह भी स्पष्ट किया गया है कि आयु छूट केवल एक श्रेणी में ही मान्य होगी। दूसरी उपधारा बीमार्क डिसेबिलिटीज (मानक विकलांगता) वाले व्यक्तियों के लिए 5 वर्ष की अतिरिक्त आयु छूट प्रदान करती है। यह भी कहा गया है कि यह आयु छूट राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (जिसे आगे '2010 के नियम' कहा जाएगा) में पहले से निर्धारित आयु छूट के अतिरिक्त होगी। संलग्न स्पष्टीकरण में यह भी व्याख्या की गई है कि चूंकि सिविल जज कैडर के तहत अंतिम चयन वर्ष 2021 में हुआ था और आयु पात्रता 01.01.2022 को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई थी, एवं अब नवीन विज्ञापन के तहत आगामी भर्ती की जा रही है, इसलिए आयु सीमा 01.01.2025 को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाएगी। अतः जो उम्मीदवार 01.01.2023 को पात्र थे, उन्हें पात्र माना जाएगा।

4. याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 05.01.1977 स्वीकार की गई है। 01.01.2023 को, आयु में 5 वर्ष की छूट मिलने के बावजूद उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक है, इसलिए वह आयु सीमा के कारण वंचित है।

5. उक्त विज्ञापन की धारा 20 में दिया गया यह प्रावधान इस याचिका में चुनौती का विषय है।

6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विस्तार से न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि 01.01.2023 के संदर्भ में आयु सीमा निर्धारित करना विधिक रूप से सही नहीं है और यह 2010 के नियमों के नियम 17 में निहित वैधानिक प्रावधान के भी विरुद्ध है। उन्होंने न्यायालय का ध्यान उन प्रावधानों की ओर आकर्षित किया और कहा कि इसका उद्देश्य उन अभ्यर्थियों को पात्रता प्रदान करना था, जो हर वर्ष परीक्षा आयोजित न होने के कारण अपात्र हो गए, जबकि यदि परीक्षा नियमित रूप से होती तो वे पात्र होते। उनके अनुसार, उक्त नियम की भावना को वर्तमान मामले में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जब 22.07.2021 को विज्ञापन जारी किया गया था, तब उम्र संबंधी वही प्रावधान था और पात्रता नियम 17 की भावना के अनुरूप तय की गई थी। हालांकि, जब 09.04.2024 को विज्ञापन जारी हुआ, जिसे इस याचिका में चुनौती दी गई है, उसमें धारा 20 के तहत आयु पात्रता संबंधी प्रावधान नियम 17 की भावना के अनुरूप नहीं है।

7. इसके विपरीत, प्रतिवादियों के वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि विज्ञापन की धारा 20, 2010 के नियमों के नियम 17 में निहित प्रावधान के अक्षर और भावना दोनों के अनुरूप है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित वर्ष वह नहीं है जिसमें

परीक्षा आयोजित की गई थी, बल्कि वह वर्ष है जिसमें परीक्षा आयोजित नहीं हुई थी, जैसा कि नियम 17 के उपबंध

(iv) में बताया गया है। यहाँ तक कि यदि विज्ञापन वर्ष 2022 में भी जारी होता, तो 01.01.2023 को याचिकाकर्ता आयु की दृष्टि से बाहर हो जाता। अतः, अगली परीक्षा में भी उसे आयु सीमा से बाहर माना जाएगा और इस याचिका में जो नियम उद्धृत किए गए हैं, वे उसकी सहायता नहीं कर सकते।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं, अभिलेख और हमारे समक्ष प्रस्तुत सारा सामग्री देखा।

9. सिविल जज कैंडर के पद पर चयन हेतु परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी की पात्रता निर्धारित करने के संबंध में, 2010 के नियमों के तहत नियम 17 निम्नलिखित प्रावधान करता है:

“17.आयु.- सिविल जज कैंडर में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद पहली जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं की होनी चाहिए।

यह भी प्रावधान है कि—

(i) उपरोक्त आयु सीमा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी।

(ii) विलोपित

(iii) विलोपित

- (iv) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आयु के अनुसार उस वर्ष परीक्षा में बैठने का अधिकारी होता जिसमें कोई परीक्षा आयोजित नहीं हुई, तो उसे अगले आयोजित होने वाली परीक्षा में अपनी आयु के आधार पर पात्र माना जाएगा।
- (v) यदि किसी कारणवश किसी वर्ष लिखित परीक्षा/साक्षात्कार रद्द कर दिया जाता है, तो चयन प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह अभ्यर्थी को अगली परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आयु में छूट प्रदान कर सके।
- (vi) बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए आयु में छूट राज्य में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होगी।

10. इस नियम और उससे जुड़े उपबंध की एक न्यायसंगत, तार्किक और तर्कसंगत व्याख्या यह होगी कि सिविल जज कैडर में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, जो आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद आने वाली पहली जनवरी को गणना की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आयु पात्रता का आकलन करते समय, वह वर्ष नहीं देखा जाएगा जिसमें आवेदन की अंतिम तिथि आती है, बल्कि उसके बाद आने वाला वर्ष देखा जाएगा।

11. उपरोक्त प्रावधान से कुल 6 उपबंध जुड़े हुए हैं। उपबंध (iv) का उद्देश्य उन उम्मीदवारों को लाभ देना है, जो अगले वर्षों में परीक्षा आयोजित होने पर पात्र होते, लेकिन लगातार वर्षों तक परीक्षा न होने के कारण आयु सीमा के बाहर हो गए। यह प्रावधान उम्र के आधार पर हुई अपात्रता को दूर करने और उनके लिए अवसर सुनिश्चित करने के लिए है, बशर्ते कि यदि भर्ती प्रक्रिया में कोई अंतराल न होता, तो वे उम्मीदवार

हमेशा पात्र रहते और परीक्षा नियमित रूप से साल-दर-साल होती। यदि यह पाया जाता है कि यदि प्रत्येक वर्ष परीक्षा लगातार आयोजित हुई होती तो उम्मीदवार पात्र रहता, तो उपबंध (iv) उसकी सहायता के लिए लागू होगा और ऐसे उम्मीदवार को, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद पहली जनवरी को आयु सीमा पार कर लेने के बावजूद, पात्र माना जाएगा।

12. यदि हम विज्ञापन की धारा 20 को देखें, तो यह प्रावधान करता है कि वे सभी उम्मीदवार, जो 01.01.2023 को पात्र थे, उन्हें 09.04.2024 दिनांकित विज्ञापन के तहत आरंभ की गई चयन प्रक्रिया के लिए पात्र माना जाएगा। अब हम उपरोक्त प्रावधान की परख 2010 के नियमों के नियम 17 (iv) में दिए गए प्रावधान के आलोक में करेंगे।

13. अंतिम भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2021 में आयोजित हुई थी, जब 22.07.2021 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। उस तिथि को, विद्यमान नियमों के अनुसार याचिकाकर्ता निश्चित रूप से उस वर्ष के लिए पात्र था। यह स्वीकार किया गया है कि बाद के वर्षों अर्थात् 2022 और 2023 में कोई भर्ती प्रक्रिया आयोजित नहीं की गई। यदि मान लिया जाए कि प्रतिवादियों ने वर्ष 2022 में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत की होती, तो उस वर्ष में उपलब्ध पहली तिथि अर्थात् 01.01.2022 को, क्या याचिकाकर्ता तत्कालीन लागू नियमों के अनुसार परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र रहा होता? यदि हम नियम 17 में निहित प्रावधान लागू करते हैं, तो मान लें कि विज्ञापन 01.01.2022 को जारी हुआ होता, जिससे यह आवश्यक रूप से स्पष्ट होता है कि आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि इसके बाद होती और पात्रता के लिए संदर्भित तिथि जनवरी 2023 की पहली तिथि होती।

14. क्या याचिकाकर्ता 01.01.2023 को आयु सीमा के भीतर था, यही प्रश्न निर्णायक है। याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 05.01.1977 है। यह स्वीकार किया गया है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई डब्ल्यू एस) से संबंधित है, अतः उसे 5 वर्ष की आयु में छूट का अधिकार है। इसलिए यह देखना आवश्यक है कि क्या वह 01.01.2023 को आयु सीमा के भीतर था। इसका उत्तर “नहीं” है क्योंकि उस तिथि को वह 45 वर्ष से अधिक की आयु पूरी कर चुका था।

15. भले ही परीक्षा अगले वर्ष यानी 2022 में ही आयोजित की जाती, याचिकाकर्ता पात्र न होता तथा छूट के बावजूद आयु सीमा के कारण वंचित रहता। यदि ऐसा है, तो यह समझना कठिन है कि कोई अभ्यर्थी, जो वर्ष 2022 में भी पात्र नहीं था, उसे मानी हुयी आयु पात्रता का लाभ नियम 2010 के नियम 17 के उपबंध (iv) के तहत दिया जा सकता है। यदि इस प्रकार की व्याख्या की जाती है, तो यह उक्त प्रावधान में निहित विशिष्ट आशय के विपरीत होगी।

16. ऐसी मानी हुयी आयु पात्रता की व्यवस्था करने का उद्देश्य और आशय यह है कि परीक्षा नियमित रूप से न होने के कारण होने वाली कठिनाई से राहत मिल सके। अतः, तात्पर्य यह है कि मानी हुयी पात्रता का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले यह जांचना जरूरी है कि क्या, यदि परीक्षा अगले वर्ष में आयोजित होती, तो अभ्यर्थी नियमों के तहत आयु में छूट पाकर पात्र होता या नहीं। यदि अभ्यर्थी तब भी पात्र नहीं होता, तो नियम 17 के उपबंध (iv) में वर्णित मानी हुयी छूट का प्रावधान उसकी सहायता में नहीं आ सकता।

17. उपरोक्त दृष्टिकोण और नियमों की व्याख्या के आधार पर, हमारा मत है कि विज्ञापन की धारा 20, 2010 के नियम 17 में निहित प्रावधान का उल्लंघन नहीं करती है।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की यह प्रस्तुत दलील कि मानी गई पात्रता देने के लिए प्रतिवादियों को वर्ष 2021 में किए गए कार्यों का सख्ती से पालन करना चाहिए था, इस पर विचार करना आवश्यक नहीं है। वर्ष 2021 में लागू की गई आयु पात्रता की शर्त की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की गई थी, अतः इस पक्ष में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस न्यायालय ने इस मामले की योग्यता की जांच उन नियमों के आधार पर की है, जो कि विज्ञापन जारी होने की तिथि यानी 09.04.2024 को प्रभावी थे।

19. अतः इस याचिका में कोई तथ्य नहीं है और इसे तदनुसार खारिज किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन है, तो वह भी खारिज किया जाता है।

(भुवन गोयल), जे

कमलेश कुमार-राहुल/9

(मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव), मुख्य न्यायाधीश

6735/2024]

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate